

कार्यालय :- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विदिशा (म0प्र0)


--: विविध आदेश :-

क्रमांक 52/एक-15-1/95

विदिशा, दिनांक: 10/07/2024

मैं जाकिर हुसैन, सत्र न्यायाधीश विदिशा, श्री राजेश शर्मा, प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश विदिशा के न्यायालय में लंबित क्रिमिनल रिवीजन क्रमांक 82/2022 अचल कुमार दुबे विरुद्ध आर.के.कार्तिकेय व अन्य में गैरपुनरीक्षणकर्ता, श्री मनोज कुमार राठी, प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम विदिशा के न्यायालय में लंबित ई.ओ.डब्ल्यू प्रकरण क्र. 1/2021 थाना ई.ओ.डब्ल्यू, भोपाल विरुद्ध बृजेन्द्रसिंह वर्मा व अन्य में अभियुक्तगण होने के फलस्वरूप दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 408 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सारणी के स्तंभ क्रमांक 01 में वर्णित न्यायालय के स्तंभ क्रमांक 02 में उल्लेखित प्रकरण प्रत्याहरित कर विधिवत निराकरण हेतु स्तंभ क्रमांक 04 में वर्णित न्यायालय में अंतरित करता हूँ :-

क्रं.	न्यायालय से	प्रकरण सूची अनुसार	प्रकरणों की संख्या	न्यायालय को
	1	2	3	4
1	श्री राजेश शर्मा, चतुर्थ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, विदिशा	1 क्रिमिनल रिवीजन क्रं. 82/2022 अचल कुमार दुबे वि. आर.के. कार्तिकेय व अन्य।	01	श्री मनोज कुमार राठी, प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश भ्र.नि. अधिनियम, विदिशा



(जाकिर हुसैन)

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
विदिशा (म0प्र0)

पृष्ठां.क्र. 2306/एक-15-1/95
प्रतिलिपि :-

विदिशा, दिनांक: 10/07/2024

- 1 श्री मनोज कुमार राठी, प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, विदिशा
- 2 श्री राजेश शर्मा, चतुर्थ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, विदिशा
- 3 अध्यक्ष/सचिव, अभिभाषक संघ, विदिशा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 4 जूनियर सिस्टम एनालिस्ट, विदिशा, एवं सिस्टम असिस्टेंट, विदिशा की ओर प्रकरण सी.आई.एस. सॉफ्टवेयर में अंतरित करने एवं संबंधित न्यायिक अधिकारीगण को ई-मेल, तथा जिला न्यायालय विदिशा की साईड पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
विदिशा (म0प्र0)